

अभिभावक अनुमति पत्र

श्रीमती आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1165/पन्द्रह-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में विद्यालय/कोचिंग खोलने तथा अपने पाल्य को विद्यालय/कोचिंग में भेजे जाने की अनुमति दिये जाने के क्रम में मैं श्री/श्रीमती अपने पुत्र/पुत्री..... कक्षा को विद्यालय/कोचिंग को स्वच्छता एवं कोविड 19 के बचाव हेतु संस्था द्वारा किये गये प्रयासों को अपने पुत्र/पुत्री हेतु सुरक्षित पाते हुए सहर्ष विद्यालय/कोचिंग में भेजने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ।

विद्यार्थी का नाम :-

ID. No. :-

कोर्स :-

मो० नं० :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

अभिभावक

पता :-

मो० नं० :-

प्रतिहस्ताक्षरित

निदेशक

जे.आर.एस. ट्यूटोरियल्स, वाराणसी